राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कर्मपाल सिंह बनाम लल्लू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/02/2026	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर पारित अपीलाधीन आदेश से सम्बंधित मूल वाद का दिनांक 22/11/2024 को अन्तिम निस्तारण कर दिया गया है, जिससे अपीलाधीन आदेश स्वत: ही सारहीन हो गया है किन्तु जमाबन्दी पर अंकित अपीलाधीन आएश के नोट को तहसीलदार हटा नही रहा है एवं वह उक्त अपीलाधीन आदेश के आज भी अस्तीत्व में होने के तथ्य जाहिर कर नोट हटाने से ईन्कार कर रहा है। अत: अपीलाधीन आदेश के सारहीन हो जाने से उसकी क्रियान्विति स्थगित फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा की गयी बहस उचित प्रतीत होती है कि प्रश्नाधीन अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22/11/2024 को अन्तिम निस्तारण कर दिया गया है, ऐसेमें अपीलाधीन आदेश स्वत: सारहीन हो जाने से निरस्तनीय हो जाता है। अत: अपीलाधीन आदेश दिनांक 08/12/2021 सारहीन हो जाने से निरस्त किया जाता है एवं अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	